मघाराम बनाम अर्जनराम वगै.

225RTA/2016/87

29.1.18	अभिभाषक अपीलांट व जी.ए. उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही पाचूं उत्तरी के खसरा नम्बर 1009 तादादी 4.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 1013 तादादी 0.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 1014 तादादी 6.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 1016 तादादी 2.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 1017 तादादी 1.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 1022 तादादी 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 1023 तादादी 4.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 1024 तादादी 3.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 1025 तादादी 3.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 1041 तादादी 3.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 1042 तादादी 3.96 हेक्टर, खसरा नम्क्बर 1043 तादादी 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 1044 तादादी 5.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 1045 तादादी 1.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 1046 तादादी 1.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1690 तादादी 1.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 1704 तादादी 3.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 1689 तादादी 2.90 हेक्टर कुल तादाी 50.61 हेक्टर भूमि अपीलांट के दादा शिवनाथराम की होने से कोपार्सनरी पैतृक सम्पति है। इसलिए अपीलांट का वादगत् भूमि पर पैतृक हिस्सा कायम है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 आराजी जैर में दादा शिवनाथराम के हिस्से की भूमि में 1/6 व 1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के साथ–साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसे अदालत मातहत द्वारा सरसरी तौर पर मात्र यह अभिलिखित करते हुए कि वाके ग्राम पांचू उत्तरी का खसरा नम्बर 1689/1 रकबा 2.90 हेक्टर बारानी भूमि सम्मिलित होने के कारण राजहित को ध्यान में रखते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट की भूमि है जिसमें राजहित का कोई लेना–देना नहीं है।	
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत् भूमि को खुद–बुर्द करने पर अमादा है। दौराने वाद यदि वादगत् भूमि को आगे	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेचान किया गया या रहन बैय व मुन्तकिल किया गया तो मुकदमें में पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ताफैसला वाद वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के विभाजन का दावा प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया था। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 07–12–2016 के माध्यम से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि वाके ग्राम पाचूं उत्तरी के खसरा नम्बर 1689/1 रकबा 2.90 हेक्टर बारानी भूमि सम्मिलित होने के कारण राजहित को ध्यान में रखते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि प्रकरण में उल्लेखित वादगत् भूमि पर राजहित किस प्रकार निहित है ना ही अपने आदेश में इस तथ्य का कोई विवेचन किया गया है। केवल मात्र यह अंकित कर देना कि राजहित निहित है पर्याप्त नहीं है। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट की सह–खातेदारी भूमि है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपनी कोई विवचेना अंकित नहीं की है। जबकि किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय से पूर्व इन सभी तथ्यों पर विवचेन किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। जैसा कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नहीं किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादगत् भूमि अपीलांट का हक व हिस्सा निहित है व अदालत मातहत के समक्ष विभाजन का दावा जैरकार है। वादगत् भूमि राजहित शामिल है अथवा नहीं, यह तथ्या अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट की पक्ष में साबित है। दौराने वाद यदि वादगत् भूमि को रहन,बैय व मुन्तकिल किया गया तो प्रकरण में बेवजह पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में होना साबित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 07–12–2016 निरस्त किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि सभी पक्षकार अदालत मातहत के समक्ष जैरकार दावे के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 सकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।